

## ATTENTION/आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शत-प्रतिशत अनुदानित/अनुरक्षित/संचालित है, के द्वारा प्रदत्त समस्त उपाधियां/डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र भारत की सरकारी/गैर-सरकारी/स्वायत्तशासी इत्यादि सभी प्रकार की संस्थाओं में मान्य हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी किसी भी उपाधि/डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र को किसी के भी द्वारा अमान्य करना कानूनन अनुचित है।